कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 5 सन् 2019

सरकार बनाम हरदेवराम पुत्र धन्नारसिंह जाति रायसिख निवासी किशनपुरा

निर्णय

दिनांकः– 31/01/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। बावजूद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 13NRDB के मु0न0 13 किला नं0 — के कुल 0.456 हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ ख0सं0 2075 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टे0 — का तावान 50 गुणा राशि 183/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की फसल नीलामी हेतु एवं पर्चा नीलामी प्रस्तुत करने हेतु ISR को लिखा गया।

पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करनें एवं तावान वसूल करनें तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करनें हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। बाद तरतीब तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

"घ" पंजिका वर्ष ...18-19... के
पृष्ठ स. 252 क्र.सं. 22 ...राशि
रु......... मांग दर्ज की गई।
(तावान) 183-
(कुल) 350-
त. रा. लेखाकार

Scanned by CamScanner